प्रेस विज्ञप्ति

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का हिमाचल प्रदेश सरकार के सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

वर्ष 2021 की प्रतिवेदन संख्या 2, जो 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का हिमाचल प्रदेश सरकार के सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) पर है, को _____ 2021 को भारत के संविधान के धारा 151 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा पटल पर प्रस्तुत किया गया।

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय समाविष्ट हैं। प्रथम अध्याय में राज्य की वित्तीय रूपरेखा, लेखापरीक्षा योजना एवं संचालन तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई समाहित है। द्वितीय अध्याय में दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं (1) उद्यान विभाग की कार्यपद्धति एवं (2) शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन समाहित है। तीसरे अध्याय में विभिन्न विभागों के 14 अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेद शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में शामिल लेखापरीक्षा टिप्पणियों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 203.01 करोड़ है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां नीचे उल्लेखित हैं:

निष्पादन लेखापरीक्षा

1. उद्यान विभाग की कार्यपद्धति (उद्यान विभाग)

'उद्यान विभाग की कार्यपद्धति' पर निष्पादन लेखापरीक्षा में कार्ययोजना प्रक्रिया, वित्त प्रबंधन, बागवानी योजनाओं/गतिविधियों का कार्यान्वयन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली जैसे तत्वों की जांच समाविष्ट की गई थी। 'उद्यान विभाग की कार्यपद्धति' पर निष्पादन लेखापरीक्षा में योजना की कमी, कमजोर वित्तीय प्रबंधन तथा बुनियादी ढांचे के सृजन, उन्नत किस्मों के पौधों की आपूर्ति, फसलोत्तर प्रबंधन एवं प्रभावहीन आंतरिक नियंत्रण सहित विभिन्न बागवानी विकास गतिविधियों का अलाभकारी एवं अप्रभावी कार्य निष्पादन उजागर हुआ। इस लेखापरीक्षा का सकल वित्तीय प्रभाव ₹ 97.03 करोड़ है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत् है:

- विभाग ने राज्य में बागवानी के विकास हेतु स्पष्ट न्यूनतम मानदण्ड तय करते हुए राज्य बागवानी नीति/रणनीति योजना निरूपित नहीं की थी।
- विभाग फल के सकल उत्पादन के साथ ही साथ प्रति एकड़ उत्पादन पर नियंत्रण में विफल रहा जिससे 2014-19 के दौरान फल उत्पादन घट गया।
- 12 *प्रतिशत* आबंटित निधियां (2014-19) अप्रयुक्त रहीं जबकि व्यय के रूप में दर्ज तीन प्रतिशत राशि 19 आहरण एवं संवितरण अधिकायों के बचत बैंक खातों में अवरूद्ध थी तथा वास्तव में खर्च नहीं की गई थी।
- ₹ 21.60 करोड़ की राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि अनियमित तरीके से कीटनाशकों पर सब्सिडी के रूप में परिवर्तित कर के बागवानों को प्रदान की गई।
- भौतिक सत्यापन किए गए 12 फल संतति-सह-प्रदर्शन उद्यानों में से 10 में 31 *प्रतिशत* क्षेत्र पौधारोपण रहित था, चार फल संतति-सह-प्रदर्शन उद्यानों में नर्सरी नहीं थी तथा आठ में सिंचाई सुविधाएं पर्याप्त नहीं थी।

- स्थापित की गई फल प्रसंस्करण इकाइयों ने इकाइयों हेतु प्रदान ₹ 3.21 करोड़ की सब्सिडी का उपयोग किया जो अकार्यशील थी।
- कीटनाशकों की लागत एवं मात्रा में अंतर, आँकड़ों का अनुचित अनुरक्षण तथा आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित न करना अप्रभावी आन्तरिक नियंत्रण को प्रतिबिम्बित करता है।

2. शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (शहरी विकास विभाग)

'शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन' की निष्पादन लेखापरीक्षा में ठोस कचरे के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, ढुलाई, प्रसंस्करण एवं निपटान में कमियां उजागर की हैं। इस लेखापरीक्षा का वित्तीय प्रभाव ₹ 19.06 करोड़ है, कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों को नीचे चिन्हांकित किया गया है:

- योजना दस्तावेजों में संस्थागत एवं वित्तीय क्षमता में संसाधन अंतर का आंकलन नहीं किया गया तथा इसमें ठोस कचरे के पृथक्करण, प्रसंस्करण एवं निपटान से संबंधित मुद्दों को सम्बोधित नहीं किया गया।
- पूंजीगत प्रकृति की परियोजनाओं हेतु उपलब्ध निधियां अपर्याप्त थी, जबकि उपलब्ध निधियों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया; तथा उपभोक्ता शुल्क के संग्रहण में कमियां थी।
- सभी 16 नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों में घर-घर कचरा संग्रहण, सामुदायिक डिब्बों एवं आधुनिक भूमिगत डिब्बों के द्वारा कचरा संग्रहण में कमियां थी, जो कचरे के ओवरफ्लो (स्तर से अधिक भर जाना), कचरा फैलने तथा खुले में फेंके जाने के रूप में परिणत हुआ।
- कचरे को न तो कचरा उत्पादकों से अलग किये रूप में इकट्ठा किया गया, न ही द्वितीयक स्तर पर अथवा ढुलाई के समय कचरे के पृथक्करण की कोई सुविधा थी।
- कचरे की ढुलाई हेतु कमियों में कचरा ढुलाई के लिए प्रयुक्त वाहनों में अलग-अलग कचरे को ले जाने की क्षमता का अभाव था तथा 16 नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों में 73 *प्रतिशत* वाहन ढंके हुए नहीं थे।
- बायोडिग्रेडेबल तथा गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरा प्रसंस्करण संयंत्र का क्रमशः केवल 11 शहरी स्थानीय निकायों एवं एक शहरी स्थानीय निकाय में निर्माण किया गया था; हालांकि इनमें से कोई भी सुविधा पूर्ण रूप से कार्यशील नहीं थी।
- राज्य के 54 शहरी स्थानीय निकायों में से किसी ने भी ठोस कचरे के सुरक्षित निपटान हेतु सेनेटरी लैण्डफिल्स नहीं बनाए गए थे तथा अलग नहीं किया गया कचरा खुले डम्प स्थलों पर डाला जा रहा था।
- ठोस कचरे के प्रबंधन की निगरानी हेतु जिम्मेदार संस्थाएं अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर रही थीं, जिसके परिणामस्वरूप नियमों की अनुपालना नहीं हुई।

अनुपालना लेखापरीक्षा

1. सरकारी धन का गबन (पशुपालन विभाग)

पशुपालन विभाग में सरकारी प्राप्तियां एवं लाभार्थी अंश को न तो रोकड़-बही में लेखांकित किया गया न ही सरकारी खाते में जमा किया गया, जो ₹ 99.71 लाख के गबन में परिणत हुआ।

2. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में निधियों का गबन (शिक्षा विभाग)

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा पंजिकाओं/अभिलेखों में प्राप्तियों की बैंक विवरण में प्रदर्शित प्राप्तियों के साथ तुलना के लिए सामयिक मिलान और आवश्यक जांच करने में विफलता के कारण ₹ 1.13 करोड़ का गबन हुआ।

3. स्कूल वर्दी के कपड़े के परीक्षण पर अनियमित व्यय (शिक्षा विभाग)

स्कूल वर्दी के कपड़े की जांच का कार्य सार्वजनिक खरीद में मितव्ययता एवं वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों तथा वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए सीधे एक प्रयोगशाला को सौंपा गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.62 करोड़ का अनियमित एवं अलाभकारी व्यय हुआ तथा प्रयोगशाला को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

4. भवन के निर्माण पर निष्फल व्यय (शिक्षा विभाग)

कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा संस्वीकृत भवन योजना का उल्लंघन एवं शिक्षा विभाग द्वारा निगरानी में कमी से स्टाफ क्वार्टर (कर्मचारी आवास गृह) में नागरिक सुविधाओं का अस्वीकरण हुआ, जो 49 माह से अधिक समय तक अकार्यशील रहा, परिणामस्वरूप ₹ 2.27 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

5. परिवहन हेलिकॉप्टर किराए पर लेने में अनुचित लाभ एवं परिहार्य/निष्फल व्यय (सामान्य प्रशासन विभाग)

अन्य बोलीदाताओं को बाहर रखने वाली शर्तों को सम्मिलित और संशोधित करके, मेसर्स पवन हंस लिमिटेड को, उसके खराब सुरक्षा रिकॉर्ड के गंभीर मुद्दे की अनदेखी करके तकनीकी मूल्यांकन के लिए अर्हता प्राप्त करने देने, और असंतोषजनक सेवा वितरण के बावजूद अनुबंध के विस्तार की अनुमति देकर अनुचित लाभ दिया गया। इसके अतिरिक्त, अनुचित और मनमाने ढंग से दरों में 10 *प्रतिशत* वार्षिक वृद्धि प्रदान करने के परिणामस्वरूप ₹ 18.39 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। जबकि, अनुबंध की अवधि की समाप्ति के बजाय वार्षिक आधार पर अधिक/कम उड़ान घंटों का समायोजन करने के कारण अप्रयुक्त उड़ान घंटों पर ₹ 6.97 करोड़ का निरर्थक व्यय हुआ।

6. सहायता अनुदान का गलत उपयोग (उद्योग विभाग)

विभाग द्वारा निगरानी में कमी एवं निष्क्रियता खाद्य प्रसंस्करण योजना पर राष्ट्रीय/राज्य मिशन के तहत् ₹ 1.29 करोड़ की वित्तीय सहायता एवं शास्ति की अवसूली में परिणत हुई।

7. निधियों की अप्रयुक्ति एवं अवसंरचना पर निष्फल व्यय (श्रम एवं रोजगार विभाग)

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड ने आवश्यकता के व्यवस्थित मूल्यांकन के साथ निधियों के उपयोग के लिए कार्य योजना तैयार नहीं की। इसके फलस्वरूप संग्रहित निधियों का 86 *प्रतिशत* तथा कौशल विकास संस्थान और श्रमिक आवास के लिए ₹ 24.15 करोड़ के व्यय से बनाई गई परिसम्पत्तियां अनुपयोगी रही।

8. सड़क के निलंबित कार्य पर ठेकेदार को अनुचित लाभ (लोक निर्माण विभाग)

सड़क के निलंबित कार्य के संबंध में निष्पादन गारंटी प्राप्त न करने, अनधिकृत उत्खनन कार्य के लिए उल्लेखनीय रूप से उच्च दरों पर भुगतान, उपयोगी पत्थरों की वसूली न होने, क्षतिपूर्ति की अवसूली तथा प्रतिभूति जमा राशि की कम कटौती द्वारा ठेकेदार को ₹ 2.88 करोड़ का अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

9. अमान्य निर्माण-कार्यों हेतु राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का दुरूपयोग (राजस्व विभाग)

राज्य कार्यकारिणी समिति राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से आहरित धन का उचित उपयोग सुनिश्चित नहीं कर रही थी जिसके परिणामस्वरूप उपायुक्तों द्वारा प्राकृतिक आपदा/विपत्ति से क्षतिग्रस्त नहीं हुए मरम्मत/ जीर्णोद्धार के अमान्य कार्यों पर ₹ 14.63 करोड़ का दुरूपयोग किया गया।

10. पॉलिटेक्निक भवन का निर्माण न होने से निष्फल व्यय एवं निधियों का अवरोधन (तकनीकी शिक्षा विभाग)

विभाग द्वारा पॉलिटेक्निक के निर्माण हेतु भूमि-हस्तांतरण के पूर्व कार्य-स्थल (साइट) की व्यवहार्यता जांचने में विफलता एवं वैकल्पिक कार्य-स्थल पर भूमि की पहचान करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹ 99.91 लाख का निष्फल व्यय हुआ एवं ₹ सात करोड़ की निधियां अवरूद्ध हुई तथा पॉलिटेक्निक का नौ से अधिक वर्षों तक निर्माण नहीं हुआ।

11. निर्माण की आयोजना एवं विनियमन (नगर एवं ग्राम योजना तथा शहरी विकास विभाग)

राज्य की भूमि के योजनाबद्ध एवं सतत विकास के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि निर्माण कार्यों के प्रशासन की विनियमन रूपरेखा उपलब्ध क्षेत्र के मात्र 11 *प्रतिशत* पर ही प्रयोज्य थी। विकास योजनाएं या तो परिकल्पनानुसार अग्रिम रूप से नहीं बनाई गई अथवा कार्यान्वित नहीं की गई। यह सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा नियमों एवं विनियमनों की कमजोर प्रयोज्यता से युग्मित हुई, जो अनधिकृत निर्माणों से बचने साथ ही साथ अवैध निर्माण के संदर्भ में कार्रवाई करने में अप्रभावी सिद्ध हुआ। नाजुक एवं भूकम्प संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र को देखते हुए राज्य में प्राकृतिक आपदा के समय इस प्रकार के अवैध निर्माण विपत्ति का कारण बन सकते है।